By Speed Post/Email

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद के 338 के आधीन स्थापित एक संवैधानिक निकाय)

फाइल सं0 वी–8 / उ0प्र0–32 / 2023 / सेवायें– ।।

5वां व 7वां तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांक: 02.07.2024

सेवा में,

जिलाधिकारी
जिला–हापुड
उत्तर प्रदेश
Email: dmhap@nic.in

विषयः– अभ्यावेदन प्राप्त श्री विपिन कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश, मकान नं0 1749, भीम नगर, हापुड, जिला–हापुड, उत्तर प्रदेश का श्री अशोक कुमार जाति कौरी (हिन्दू जुलाहा) ग्राम रघुनाथपुर–चन्दपुरा, तहसील व जिला हापुड, उत्तर द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने और विभागीय कार्यवाही करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 19.06.2024 को श्री लव कुश कुमार, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली के सम्मुख आयोजित हुई सुनवाई के कार्यवृत की छायाप्रति अग्रषित करने का निर्देश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध है कि आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) निर्धारित समय के भीतर भेजें।

संलग्नः उपरोक्त

भवदीय,

ज.मिंज 02.7.24

(जशी मिंज)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपिः–

श्री विपिन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, मकान नं0 1749, भीम नगर, हापुड, जिला–हापुड, उत्तर प्रदेश Email: vkvipin1982@gmail.com & tomerccsu@gmail.com

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)

फाईल संख्या वी–8/यूपी–32/2023/सेवाएँ–।।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

आयोग में दिनांक 12.06.2024 कों हुई सुनवाई का कार्यवृत्त

प्रकरण में दिनांक 12.06.2024 को सुनवाई की गई। श्री शुभम श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी, हापुड तथा प्रार्थी श्री विपिन कुमार सुनवाई में उपस्थित रहे।

2. प्रार्थी श्री विपिन कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश, जिला–हापुड, उत्तर प्रदेश ने आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन के द्वारा शिकायत की है कि ग्राम रघुनाथपुर–चन्दपुरा, तहसील व जिला हापुड, उत्तर प्रदेश निवासी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामपाल जाति कोली ने कोरी (हिन्दू जुलाहा) के नाम से अनुसूचित जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी एंव अन्य लाभ प्राप्त कर लिए हैं। भारत सरकार के शासनादेशानुसार कोरी (हिन्दू जुलाहा) जाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है। इसके बावजूद श्री अशोक कुमार ने दिनांक 28.03.2003 को तहसील हापुड से क्रमॉक नम्बर 2510 के माध्यम से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करा लिया है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का हक व अधिकार का हनन करते हुए सरकारी सेवा का लाभ उठा रहा है।

प्रार्थी ने आयोग से श्री अशोक कुमार के फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण को निरस्त कराने एंवं उनके विरूद्व कानूनी व विभागीय कार्रवाई किए जाने हेतु अनुरोध किया है।

3. प्रकरण में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। उपजिलाधिकारी, हापुड ने आयोग को लिखित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और अवगत कराया कि इस प्रकरण की जांच तहसीलदारए हापुड के माध्यम से कराई गई थी। उनकी जांच आख्यानुसार पाया गया कि ग्राम रघुनाथपुर के पुराने परिवार रजिस्टर के अनुसार श्री रामपाल पुत्र सरूप की जाति कोली अंकित है जो अशोक कुमार के पिता हैं। वर्तमान परिवार रजिस्टर में जाति के कॉलम में हिन्दु के आगे कोरी शब्द जोडा गया है जिससे स्पष्ट है कि अशोक कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम रघुनाथपुर, तहसील व जिला हापुड की जाति कोली है। इसके अलावा, ग्राम रघुनाथपुर में कोरी जाति के व्यक्ति निवासरत नहीं रहे हैं और कोली जाति अनुसूचित जाति की सूची में सम्मलित नहीं है। अतः श्री अशोक कुमार ने तत्समय गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर कोरी जाति (अनुसूचित जाति) का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था।

उपजिलाधिकारी हापुड ने आयोग को यह भी अवगत कराया कि उक्त जांच आख्या जिलाधिकारी हापुड को दिनांक 08.06.2023 को यथोचित कार्रवाई किए जाने हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। वर्तमान में इस मामले में कार्रवाई प्रचलन में है और मामले का निस्तारण अतिशीघ्र कर दिया जाएेगा।

4. प्रकरण में आयोग यह अनुशंसा करता है कि जिलाधिकारी, हापुड श्री अशोक कुमार के फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को यथोचित जॉच कर नियमानुसार निरस्त करने और उनके विरूद्व यथोचित कार्रवाई किए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाएं और मामले में कृतकार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को 20 दिनों के भीतर अवगत कराए।

25/6/2024

(लव कुश कुमार)
सदस्य